

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>22/07/2024</p>	<p>पञ्जाबी पेशा हुकम (अपिलेशन) उभय पक्ष उपा. (अपिलेशन) वि.सं. 1352/2024 ने दस्तावेज फाइल जि-2 शामिल पञ्जाबी क्रिया मय्या हमने उभय पक्ष की बख्त पर भवन क्रिया तथा पञ्जाबी में उपलब्ध अपिलेशनो का जखनता से ठातलेकन क्रिया। जिसके अनुसार अपीलान्त ने मोजा प्लानिङ्ग की साबिक आरपी नम्बर 352 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि जिसके मोजा नं. 1692 व 1693 वने है उक्त भूमि के संबंध में अपील प्रस्तुत की है तथा इसी अपीलान्त, साबिक अप.नं. 352 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलान्त तथा शण्डरान मू-शण्डर अपिलेशन, 1956 की धारा 43 के तहत शण्डर मंजी के महां मंत्री निगयनी उद्घुत कर रखी है जो कि वर्तमान में निपयस्यीन होकर निगयनी में भूमिस्थिति के आकेश प्रथम क्रिये हैं एवं सुनार हेतु आरपी प्लानिङ्ग 10/08/2024 नियत है। चूंकि इसी विवाद्य-विषय/विवादित आरपी आरपी नं. 352 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि से संबंधित प्रकरण/निगयनी शण्डर मंजी के महां निपयस्यीन होने से उक्त अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के तहत स्थगित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">(तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़</p>	

